HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 7940/2026
CNR: RJHC010578802026
URN: CRLMB / 17340U / 2026

1. Hitesh Alias Hetu Ram S/o Shaymaram, Aged About 31 Years, R/o Netrad Tehsil Police Station Chouthan District Barmer. (Presently Lodged In Dist. Jail Barmer)
2. Lajput @ Ladhuram S/o Sataram, Aged About 49 Years, R/o Netrad Tehsil Police Station Chouthan District Barmer. (Presently Lodged In Dist. Jail Barmer)
3. Genaram S/o Jugatram, Aged About 42 Years, R/o Netrad Tehsil Police Station Chouthan District Barmer. (Presently Lodged In Dist. Jail Barmer)
4. Mahaveer S/o Lajput Alias Ladhuram, Aged About 23 Years, R/o Netrad Tehsil Police Station Chouthan District Barmer. (Presently Lodged In Dist. Jail Barmer)

----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Dhirendra Singh Sr. Adv. Assisted by Ms. Priyanka Borana
For Respondent(s)	:	Ms. Sonu Manawat, PP Mr. Dinesh Singh for Mr. RJ Poonia

---

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

13/07/2026

01. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से जमानत का यह आवेदन अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस **पुलिस थाना चौहटन जिला बाड़मेर** में दर्ज **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 75/2026**, अपराध अन्तर्गत धारा **189(2), 115(2), 126(2), 324(5), 109(1) 307 भारतीय न्याय संहिता** के मामले में प्रस्तुत हुआ है।

02. मैंने बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

03. इस स्टेज पर विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण–अभियुक्तगण **हितेश उर्फ हेतु राम, गेनाराम, महावीर** की हद तक इस जमानत प्रार्थना पत्र पर बल नहीं देते हैं, परन्तु निवेदन करते हैं कि चालान पेश होने के पश्चात जमानत का नया आवेदन पेश करने की स्वतंत्रता प्रदान की जावे।

04. तदनुसार यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण–अभियुक्तगण **हितेश उर्फ हेतु राम, गेनाराम, महावीर** की हद तक विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण–अभियुक्तगण द्वारा नोट प्रेस किये जाने के आधार पर जरिये नोट प्रेस निस्तारित किया जाता है। चालान पेश होने के पश्चात प्रार्थीगण–अभियुक्तगण **हितेश उर्फ हेतु राम, गेनाराम, महावीर** जमानत का नया आवेदन पेश करने हेतु स्वतंत्र रहेंगे।

05. शेष प्रार्थी–अभियुक्त **लजपत उर्फ लाधुराम** की हद तक विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का कथन है कि प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है। अनुसंधान पूर्ण होने वे बाद नतीजा विचारण में समय लगने की सम्भावना है। इन आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की।

06. इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक व विद्वान अधिवक्ता मुस्तगीस ने जमानत आवेदन का विरोध किया।

07. मैंने शेष प्रार्थी–अभियुक्त **लजपत उर्फ लाधुराम** की हद तक जमानत आवेदन पर मनन किया, केस डायरी का अवलोकन किया। अनुसंधान पूर्ण होने व बाद नतीजा विचारण में समय लगने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

10. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना जुर्म की प्रकृति व परिस्थितियों में प्रार्थी/अभियुक्त लजपत उर्फ लाधुराम को इस न्यायालय की राय में जमानत पर रिहा किया जाना उचित प्रतीत होता है।

08. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त लजपत उर्फ लाधुराम का जमानत आवेदन स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी/अभियुक्त **लजपत उर्फ लाधुराम पुत्र सताराम** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अधीनस्थ न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में प्रार्थी–अभियुक्त एक लाख रूपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास–पचास हजार रूपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावें।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

22/SN Lohra/336